प्रेषक,

संजय अग्रवाल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

OFFICE OF THE VICE-CHANCELLOR
16 JUL 2018
No. 306
LUCKNOW UNIVERSITY

OFFICE OF THE REGISTRAR
18 MAY 2018
No. 189
LUCKNOW UNIVERSITY

लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2018

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-503/सत्तर-6/98-3(7)/97 टी0सी0 दिनांक 21 मई, 1998 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भाँति निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा अनुमन्य की गयी है:-

(1) राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के जिन शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहते हों, को तीन माह पूर्व इस आशय की नोटिस विश्वविद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की संस्तुति से शासन को भेजी जायेगी तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र के माध्यम से संस्तुति सहित शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) को भेजी जायेगी।

(2) विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य परिषद् तथा महाविद्यालय के सम्बन्ध में प्रबंध समिति इस आशय का प्रस्ताव पारित करके कि आवेदक शिक्षक/कर्मचारी को कथित दिनांक से सेवा निवृत्ति किये जाने में आपत्ति नहीं है, क्रमशः उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, उच्च शिक्षा को 15 दिन में प्रस्तुत करेंगे।

(3) विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा महाविद्यालय के सम्बन्ध में निदेशक, उच्च शिक्षा क्रमशः कार्य परिषद् तथा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर विचार कर अंतिम निर्णय लेंगे तथा निर्णय से नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह के भीतर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अनुज्ञा प्रदान करेंगे।

(4) विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरने के पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

(5) यह समाधान करने के लिए कि क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने की अपेक्षा करना लोक हित में होगा या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी किसी सुसंगत बात पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अधीन गठित सतर्कता अधिष्ठान की किसी रिपोर्ट पर विचार करना अपवर्जित है।

(6) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुमन्य किये जाने पर सुसंगत नियमों के अनुसार तथा उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्ति पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे, परन्तु पेंशन

4747/NT
20/7/2018

Act Amendment 2017/G.O/c-3

Registrar / FO

DRT | DR NT
Pl. Notify and get it displayed on University website
कुलसचिव

O.S. NT

Sri D.P. Shukla
20/7/18

आगणन के लिए उतनी ही सेवावधि आगणित की जायेगी, जितनी नियमित अर्हकारी सेवा वास्तव में की हो।

(7) राजाज्ञा में उल्लिखित "शिक्षक" शब्द का वही अर्थ लिया जायेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में परिभाषित है।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त शासनादेश के अनुसार आवश्यक संशोधन समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में किये जाने तथा 15 दिन के अंदर शासन को अनुपालन आख्या प्रेषित करने के निर्देश शासनादेश संख्या-19/सत्तर-1-2018-16(140)/2017 दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत किये गये थे किन्तु उक्त निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित नहीं की गयी है।

3- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-50 की उपधारा-6 में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा अनुमन्य किये जाने विषयक उक्त शासनादेश को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने के आदेश माननीय राज्यपाल एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(अनघ अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-270(1)/सत्तर-1-2018 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त प्राचार्य, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने का कष्ट करें।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, प्रतिकुलपति, प्रतिकुलपति जी के सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, कला / विज्ञान / वाणिज्य / शिक्षा / विधि एवं ललित कला संकाय, ल०वि०वि०।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / कुलानुशासक / पुस्तकालयाध्क्ष, टैगोर / सी०एल०एल०, ल०वि०वि०
5. कार्य अधीक्षक,निर्माण विभाग ल.वि.वि.।
6. इन्चार्ज, बेवसाइट, ल०वि०वि० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. चेयरमैन, डेलीगेसी / सी०सी०ए०, ल०वि०वि०।
8. कमाण्डेण्ट एन०सी०सी० / एन०सी०सी० नेवल, ल०वि०वि०।
9. निदेशक, आई०पी०पी०आर० ल०वि०वि०।
10. परीक्षा नियन्त्रक, ल०वि०वि०।
11. वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।
12. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, कुलसचिवजी के सूचनार्थ।
13. समस्त उपकुलसचिव / सहाकय कुलसचिव, ल०वि०वि०।
14. अध्यक्ष / महामन्त्री, लूटा, ल०वि०वि०।
15. अध्यक्ष / महामन्त्री, कर्मचारी परिषद्, ल०वि०वि०।
16. प्रभारी, अभिलेख अनुभाग कुलसचिव कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र शासनादेश सम्बन्धित पत्रावली में अभिरक्षित करें।

(एस०के० शुक्ल)
कुलसचिव

Recd.
13/08/2018